न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 225 [illegible] मु. नं० 27 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-3-21	अपील दर्ज रजिस्टर हो। बहस स्थगन वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया था। पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद में होना शेष है। राजकीय हित प्रभावित हो रहे है। अत विचाराधीन स्थगन की पालना स्थगित की जावें। हमने पत्रावली एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा स्थगन पर पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 लम्बित है। विचारण न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 05.04.2021 नियत है। विधि अनुसार विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्तरिम आदेश की अपील पोषणीय नही मानी जा सकती है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में चाराजोही हेतु निर्देशित किया जाता है। विचारण न्यायालय को न्यायहित में निर्देश दिये जाते है कि आदेश 39 नियम 1 व 3 की पालना में धारा 212 के आवेदन को एक माह में अन्तिम रूप से निस्तारण करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हों। (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	